

डिक्री बमुकददमें इत्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाव्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 115/2023

दायर दिनांक 21.06.2023

वादी

प्रतिवादीगण

1. रामनाथ पुत्र श्रीराम जाति जाट
निवासी रणसीसर तहसील
डीडवाना जिला नागौर
राजस्थान।

बनाम्

1. भोमाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी
अगरोट तहसील डीडवाना जिला नागौर
राजस्थान।
2. शाखा प्रबंधक-राजस्थान मरुधरा ग्रामीण
बैंक शाखा केराप।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना।

दावा बाबत

रेकर्ड दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 188 R.T.Act., 136 L.R. Act

दिनांक 30.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी वकील वादी एवं श्री रिछपाल वकील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा अगरोट पटवार हल्का मामडोदा तहसील छोटीखाटू के नवीन खसरा संख्या 283 रकबा 2.1000 है. की भूमि प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार पश्चिम दिशा के स्थान पर पूर्वी दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 भोमाराम एवं खसरा संख्या 284 की भूमि प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार पूर्वी दिशा के स्थान पर पश्चिम दिशा में वादी रामनाथ को खातेदार घोषित किया जाकर रेकर्ड दुरुस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.06.2025 को सरे इजलास में जारी की गयी।

उपरोक्त अधिकारी
सहायक कलक्टर
डीडवाना